न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 152/2020(GCMS 2020/00269)

श्री गोपीराम अग्रवाल, आर.टी.आई. रिसर्च सैंटर, बांसवाड़ा (मोबाईल नं. 94140–02112)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

07.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2020 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रार्थी ने दिनांक 09.07.2020 को एक आवेदन (RTI) सूचना चाहने हेतु प्रेषित किया।
2. प्रार्थी ने दिनांक 10.08.2020 को प्रथम अपील अधिकारी (सूचना) को एक प्रथम अपील प्रस्तुत की।

   कृपया दोनों दस्तावेज की प्रतिलिपी माननीय उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करवावें [illegible] पि शुल्क हेतु रूपया दस का पोस्टल ऑर्डर क्रमांक [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:49:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, वाचक शाखा, कलक्ट्रेट, [illegible]गंगानगर ने अपने प[illegible] 1286 दिनांक 05.10.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	प्रार्थी ने दिनांक 09.07.2020 को एक आवेदन (आर.टी.आई.) सूचना चाहने हेतु प्रेषित किया।	इस कार्यालय से सबन्धित नहीं है।
2	प्रार्थी ने दिनांक 10.08.2020 को प्रथम अपील अधिकारी (सूचना) को एक प्रथम अपील प्रस्तुत की।	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आदिनांक तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./––/2020/1209 दिनांक 07.12.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2020 में चाही गई के बिन्दु संख्या 01 में आप द्वारा दिनांक 09.07.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सूचना चाही गई थीं। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2020 पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा हैं।
>
> **संलग्न : उक्तानुसार।**
>
> -sd-
> (डॉ. गुंजन सोनी)
> अति. जिला कलक्टर
> (प्रशासन), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:49:31 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर [illegible] अधिकारी (वाचक शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित किया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी** अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी (वाचक शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर **द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी** अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी (वाचक शाखा), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:49:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर